

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ।

पत्रावली पेश हुई। उपर्युक्त जुर्म स्वीकृति के आधार पर प्रार्थी को आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे साधारण कारावास भोगना होगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद ।